

Form LTC
[Rule 163E (6)]

06/Pol.-97/2017

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No.-417/2017 190

Dated : 09.01.18

1. A License is hereby granted to **Sri Sanjeev Kumar, S/O-Sri Ram Palak Yadav, A.T.+P.O.-Karhatiya Buzurg, P.S.-Goraul, Dist-Vaishali.** to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building **A.T.+P.O.-Salha Jandaha, P.S.-Jandaha, Jandaha Main Road, Hajipur, Dist-Vaishali.** The PTS is authorized to test the following types of vehicles :-


(a) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : 09.01.2018 to 08.01.2020

Date :

Seal :


(Signature of Licensing Authority)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

The license is hereby renewed from :- ----- to ----- परिवहन विभाग, बिहार, पटना

(Signature of Licensing Authority)


ज्ञापांक :- 190

पटना, दिनांक :- 09.01.18

प्रतिलिपि: 1. श्री संजीव कुमार, पिता-श्री राम पलक यादव, ग्रा0+पो0-करहटिया बुजुर्ग, थाना-गोरौल, जिला-वैशाली, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


(Signature of Licensing Authority)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

नोट :- यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।